



IAS

सामान्य अध्ययन पेपर - II

भाग - I



विषय-सूची

1. परिचय	1
2. शंविधान	4
3. शंशदीय शासन प्रणाली	7
4. शंघीय व्यवस्था	12
5. उद्देशिका	19
6. शंघ व शज्य	25
7. नागरिकता	30
8. मूल अधिकार	34
9. शज्य के नीति निर्देशक तत्व	51
10. मूल कर्तव्य	57
11. शंविधान शंशोधन	61
12. शक्ति पृथक्करण का शिष्टांत	64
13. शंघ	
• राष्ट्रपति	66
• उपराष्ट्रपति	80
• मंत्रिपरिषद	81
• मंत्रिमंडल	82
• प्रधानमंत्री	84
• महान्यायवादी	88
14. शंशद	89
15. शज्य	110
16. भारतीय न्यायिक व्यवस्था	
• न्यायपालिका	124

● उच्च न्यायालय	128
● अधीनस्थ/जिला न्यायालय	130
● जनहित याचिका	133
17. स्थानीय कारकारे	142
18. संघ शद्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान	153
19. संघ शद्य संबंध	159
20. वित्त आयोग	166
21. लोक सेवाएं	169
22. निर्वाचन आयोग	172
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	181
24. संविधान का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य	184
25. संविधान निर्माण	187
26. सांविधिक संस्थाएं	189
27. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	191
28. केन्द्रीय शूचना आयोग	192
29. लोकपाल एवं लोकायुक्त	194
30. भारत में अधिकरण	197
31. अधिकार व मुद्दे	200
32. लोकनीति	203
33. विभिन्न देशों के संविधान से तुलना	206

परिचय

शंखिधानिक प्रावधान :- वे प्रावधान जो शंखिधान में अप्पत वर्णित हैं।

अशंखिधानिक प्रावधान :- वे प्रावधान जो शंखिधान में वर्णित नहीं हैं और शंखिधान के विपरीत हैं।

- ये अमान्य होते हैं।
- प्रचलन में नहीं होते हैं।

गैर शंखिधानिक प्रावधान :- वे प्रावधान जो शंखिधान में वर्णित नहीं हैं, किन्तु शंखिधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं।

- ये मान्य होते हैं।
- ये प्रचलन में होते हैं।
- ये बीच-बीच उपयोग होते रहते हैं।

शंखिधानिक प्रावधान :- वे प्रावधान, जो अंशद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए।

शंखिधि (Statutory) विधायिका द्वारा बनाई गई विधि

कार्यकारी :- वे प्रावधान जो सरकार के अधीक्ष/मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो।

कुछ शंखिधानों

राज्य (State) : भौगोलिक क्षेत्र
निश्चित भू-भाग
जनराज्या
सरकार
शंखिधुता (शर्वोच्च शक्ति) (बाह्य विहीन)


देश/राष्ट्र :- राज्य + निष्ठा भारत एक राज्य है - शंखिधान
 भारत एक राष्ट्र है - व्यावहारिक रूप में

सरकार :- राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली अंशथा राज्य का अवस्था

राज्य का अवस्था

पुलिस राज्य	कल्याणकारी राज्य
अभिजात्य वर्ग/ शाशक के हितों के	(Welfare State)
लिए कार्य करना	शाखितों (लोग/जनता) के हितों के लिए कार्य करना
उदा. : अवृत्तता से पूर्व भारत	उदा. : अवृत्तता के बाद भारत

सरकार लोगों के हितों के लिये कार्य कैसे करती है ?



शाशन :- शरकार जो कुछ करती डिटू विधी/शीति से करती है उसे शाशन कहते हैं। इसके उन्नतर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करवाना, सम्मिलित किया जाता है।

प्रशासन :- यह शरकार का कार्यकारी अंग है शरकार द्वारा बनाई गयी नीतियाँ निर्णयों आदि को लागू करना यह प्रशासन कहलाता है।

शरकार के अध्ययन :- शरकार के निर्माण Etc का अध्ययन

politics/शजनीति :- शरकार के लिए निर्भित की जाने वाली नीति

शजनीता :- शजनीति का व्यवहार करने वाले

शजनीतिक्का :- शजनीति का विशेष ज्ञान रखने वाले

Political science/शजनीति विज्ञान :- शजनीति का अध्ययन करने वाला विषय

ल्लोत :-

NCERT & Class IX & XII (NEW)

भारत का संविधान :- BARE ACT

भारत का संविधान :- डी.डी. वकु/ वी.के. शर्मा

हमारी संरक्षण :- सुभाष कश्यप (प्रथमकाल शूद्र्य काल)

- रांगद में विधि बनाने की प्रक्रिया
- रांगद में वित्तीय प्रक्रिया
- रांगदीय समितियाँ
- रामीक्षा

एम. लक्ष्मीकान्त - Only State Prepare

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :- एस.एम. शैक्षण्ड

लोक प्रशासन - इवरथी - माहेश्वरी - लोक नीति


Website :- Pib.nic.in, india.gov.in, preindia.org

मेंगड़ीन :- योजना, कुरुक्षेत्र

अन्य :- वर्ल्ड फोकर (स्पेशल अंक)

अन्य मेंगड़ीन :- इण्डिया टुडे, आउट लुक

शमाचार पत्र :- द हिन्दु, दैगिक जागरण (राष्ट्रीय रांगकरण)



TopperNotes
Unleash the topper in you

शंखिदान

शंखिदान किसी देश की कर्वीच्य व मूलभूत विधि है जो शरकारी के गठन एवं कार्यों के विषय में ज्ञानकारी प्रदान करती है।

शंखिदान के प्रकार :-

1. लिखित -

दस्तावेज के रूप में शंखिदान विद्यमान।

Ex : भारत, U.S.A. etc.

2. अलिखित -

दस्तावेज के रूप में शंखिदान न हो।

Ex : ब्रिटेन

		भारत का शंखिदान	
	आग	अनुच्छेद	अनुशूली
मूल आग शंखिदान	22	395	8
वर्तमान शंखिदान	25	460 से अधिक	12

अनुशूलियाँ

अनुशूली	विषय		
1. अनुशूली -	शाड़ी एवं शंघ + शाड़ी क्षेत्र के नाम		
2. अनुशूली -	विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भर्ते आदि		
3. अनुशूली -	शपथ के प्रारूप		
4. अनुशूली -	शाड़ी क्षमा में इथानों का आवंटन (बैटवारा)		
5 वीं अनुशूली -	अक्षम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को छोड़कर अन्य शाड़ीयों के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन		
6 वीं अनुशूली -	अक्षम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन		
7 वीं अनुशूली -	शंघ एवं शाड़ीयों के मध्य विद्यायी शक्तियों का वितरण		
कानून बनाने की शक्ति	शंघ शूली	शाड़ी शूली	शमवर्ती शूली
	शंखिदान	शाड़ी विद्यान मंडल	दोनों
8 वीं अनुशूली - भाषाएं -	{ मूल शंखिदान - 14 वर्तमान शंखिदान - 22		

- 9 वी अनुशूली - (1st शंविधान शंसोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया) - कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण
- 10 वी अनुशूली - (52th शंविधान शंसोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया) - दल - बदल विरोध प्रावधान
- 11 वी अनुशूली (73rd शंविधान शंसोधन 1992 द्वारा जोड़ी गयी) - पंचायतों के अधिकार शक्तियाँ व
उत्तरदायित्व - 29 विषय
- 12 वी अनुशूली (74th शंविधान शंसोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई) - नगरपालिकाओं के अधिकार शक्तियों
व उत्तरदायित्व - 18 विषय

शंविधान की विशेषताएँ:-

भारत का शंविधान विश्व का विशालतम् शंविधान - आहवर डेनिंग्स

- (i.) ब्रिटिश विधि शास्त्री आडवर डेनिंग्स ने भारतीय शंविधान को विश्व के विशालतम् शंविधान की
शंज्ञा दी है भारत के शंविधान के विशालता के लिये
निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

भारत श्रीगौलिक रूप से विशाल देश है एवं शामाजिक व शांखकृतिक रूप से विविधता युक्त है अतः
इस विशालता व विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के शमादान के लिये शंविधान में अनेक
प्रावधानों का शमावेश करना पड़ता है जैसे शंघ शड्य दोनों के विषय में प्रावधान अनुशुलियत व जनजातियों
क्षेत्रों के प्रशासन के शंदर्भ में प्रधान आदि

(ii.) भारतीय शंविधान पर ऐतिहासिक विवरण की रूपरेखा है शंविधान का लगभग 2/3 भाग नेंहरू
रिपोर्ट 1928 और भारत शरकार 1935 अधिनियम पर आधारित है ये दस्तावेज श्वयं बड़े दस्तावेज थे
भारत शरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराये और 10 अनुशूलीयाँ शामिल की यह ब्रिटिश काल का
शबरी बड़ा कानून था

(iii.) भारतीय शंविधान में अनेक प्रावधान विदेशी शंविधानों से ग्रहण किये गये हैं लगभग 1 दर्जन देशों
के शंविधानों के अच्छाइयों को भारतीय शंविधान में शामिल किया गया है।

(iv.) भारत एक शंघीय शड्य है शंघीय शड्यों में शंघ व शड्यों के शंविधान अलग होते हैं जबकि
भारत में शंघ व शड्यों के लिये एक ही शंविधान निर्मित किया गया है।

(v.) भारतीय शंविधान में अनेक ऐसे प्रावधानों को शम्मिलित किया गया है जो शामान्यतः शंविधान की
विषय वस्तु नहीं होती है और अन्य देशों में उन्हें शंविधान में शामिल नहीं किया गया है जैसे लोक
सेवाओं से शंबंधित प्रावधान आदि

आलोचना :- डेनिंग्स ने भारतीय शंविधान की आलोचना करते हुए इसे वकीलों का र्वर्ग कहा है उन्होंने
ने शंविधान की यह आलोचना निम्नलिखित दो आधारों पर की है

(i.) भारतीय शंविधान विशाल होने के कारण अनेक विवादों की शंविधान के दायरे में रह कर उत्पन्न
होने का अवशर केता है जिसका शमादान न्यायालय द्वारा वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क व
दलितों के आधार पर किया जाता है।

(ii.) डेनिंग्स ने शंविधान की भाषा शैली को शंविधान का दुर्गुण बताया है शंविधान की जटिल भाषा
शैली शामान्य व्यक्ति की शमझ से परे है और अनेक अवशरों पर यह एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ
या व्याख्या उत्पन्न करती हैं शंविधान की यही व्याख्या का निर्णय अन्ततः न्यायालय करता है किन्तु
न्यायालय वकीलों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क एवं शाक्ष्यों के आधार पर ही ऐसा निर्णय करता है।

भारत का शंविधान एक गृहीत शंविधान है :- शंविधान का लगभग दो तिहाई भाग भारत शरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के शंविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण किया गया है।

इस प्रकार भारतीय शंविधान मौलिक रूपना नहीं है बल्कि व्यावहारिक रूपना है अर्थात् यह शंविधान निर्माताओं के मरितास्तक के रूपतंत्र चिन्तन की उपज नहीं है बल्कि शंविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के शंविधानों के प्रावधानों का अध्ययन इस मुल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान शरकारों के शंचालन में कितनी सुविधायें और असुविधायें उत्पन्न करने हैं जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया उसे शंविधान में शामिल किया गया।

किन्तु भारतीय शंविधान उद्धार का थैला नहीं है क्योंकि विभिन्न देशों के शंविधान के प्रावधानों को उसी रूप में अपनाया नहीं गया है बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शंशोधित कर रखा एवं प्रारंभिक बनाया गया है और शंविधान में शामिलित किया गया है।

उदाहरणार्थ :- नीति निर्देशक तत्व को शंकल्पना आयरलैण्ड से लिया गया है किन्तु भारतीय शंविधान में शामिल किये गये थे तत्व आयरलैण्ड की शंविधान की तुलना में अत्यन्त व्यापक हैं।

नम्यता व अनम्यता का मिश्रण :- नम्य शंविधान वह शंविधान है जिसमें शंशोधन करना अत्यन्त शर्करा हो जैसे ब्रिटेन का शंविधान।


अनम्य शंविधान वह शंविधान है जिसमें शंविधान शंशोधन करना जटिल हो जैसे अमेरिका का शंविधान। भारत का शंविधान न तो ब्रिटिश शंविधान की तरह लचीला है और न ही अमेरिका की शंविधान की भाँति कठोर बल्कि शंविधान शंशोधन के शब्दर्थ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है भारतीय शंविधान में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दो तरीके से शंशोधन किया जा सकता है -

विशेष बहुमत द्वारा - विशेष बहुमत कम से आधे शर्तों के अनुशर्मण द्वारा (Ratification)

इसके अतिरिक्त शाधारण बहुमत के द्वारा भी शंशक्त शंविधान में परिवर्तन कर शकती है किन्तु यह इतना लचीला तरीका है कि शंविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे शंविधान शंशोधन की ठंडा नहीं लेता।

शंविधान में शंशोधन की इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिये पंडित नेहरू ने शंविधान अभा में तर्क दिया कि हम भारतीय शंविधान को गतिशील बनाना चाहते हैं जिससे भविष्य में कार्य करने वाली शरकारें आवश्यकतानुसार शंविधान में शंशोधन कर सकें और शंविधान शरकारों के सुविधाजनक शंचालन में शहायक हो सके। इस प्रकार शंविधान शंशोधन का व्यापक अवश्यर मिलगा चाहिये किन्तु शंविधान शंशोधन के अवश्यर उपलब्ध कराते नम्य यही भी ध्यान रखना होगा कि शरकारें शंविधान शंशोधन का दुष्प्रयोग कर शंविधान में मनमाने शंशोधन न कर सके यही कारण है कि इन दोनों विशेषाभाजी दृष्टिकोणों के मध्य शंविधान शंशोधन की प्रक्रिया अपनायी गयी है और माध्यम मार्ग का अनुशरण करते हुये इसे नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बनाया गया है।

रांगड़ीय शासन प्रणाली Parliamentary system



लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की भागीदारी पर आधारित है यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है यह लोक अम्प्रभुता के दिक्षांत पर आधारित के तिक्का अर्थ है शर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है “लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा”।

जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में दम्भव नहीं है अतः लोकतांत्रिक प्रणालीयों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित हैं जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी बनाती है।

नोट :- प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन

Initiative पहल

Recall पुनर्वापदी

Referendum जनसत् शंख

Plebiscite जनसत् शंख

पहल :-इसके अन्तर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर विधायिका के पास भेज सकती है जनता की इस शक्ति को पहल कहते हैं।

Recall पुनर्वापदी :-कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापदी कहलाता है और अब व्यक्ति के रथान पर किसी दुसरे व्यक्ति को चुन कर भेज दिया जाता है।

Referendum जनसत् शंख :-किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिये जब लोगों से राय एकत्र की जाये तो यह जनसत् शंख कहलाता है लोगों की राय ही यहाँ समाधान होती है।

Plobisite :- किसी विषय पर लोगों की शोध क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की शय एकत्र की जाये तब इसे Plobisite कहा जाता है।

Parliamentary System

शंखदायी शासन प्रणाली

1. शक्तियों के लचीला पृथक्करण पर आधारित
2. शक्तियों का समन्वय का शिद्धांत
3. No
4. दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive)

शर्तय का अध्यक्ष

शरकार का अध्यक्ष

भारत-शष्ट्रपति

PM

ब्रिटेन - ताज

5. शर्तयाध्यक्ष एवं शरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद
6. मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता/शर्तों पर आधारित
7. No

8. मंत्रियों का उत्तरदायित्व - दोहरा उत्तरदायित्व

शर्तयाध्यक्ष के प्रति

निम्न शब्दन के प्रति

भारत - शष्ट्रपति के प्रति

लोक शभा में प्रति

ब्रिटेन - ताज के प्रति

व्यक्तिगत रूप से शाश्वत रूप से

उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व

9. शरकार का कार्यकाल - अस्थिर

गुण :-

1. अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली
2. शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग
3. शक्तियों के मिश्निक्षुश होने का खतरा नहीं/कम

दोष :-

Presidential System

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

1. शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित
2. No
3. अवरोध एवं शंतुलन का शिद्धांत पाया जाता है।
4. एकल कार्यपालिका-शष्ट्रपति



(शर्तय एवं शरकार दोनों का अध्यक्ष)

PM

5. No

6. NO

7. मंत्री बनने के लिए शष्ट्रपति के कियेंन केबिनेट का शक्तिय होना आवश्यक

8. एकल उत्तरदायित्व - मात्र शष्ट्रपति के प्रति

गुण :-

1. शरकार का अस्थिर कार्यकाल
2. प्रभावी निर्णय शक्ति
3. शर्तनीतिक दोष कम
4. दल बदल कर कोई इथान नहीं होता

दोष :-

- | | |
|--|---|
| 1. शरकार का कार्यकाल अस्थिर (अनिश्चित)
2. राजनीतिक दोष के डरम के अवशर
डरमलेती हैं।
3. दल बदल का क्षेत्र
4. शरकार के पास प्रभावी संदर्भ-
क्षमता के अवशर कम | 1. अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी प्रणाली
2. शक्तियों के मध्य टकराव की सम्भावना
3. निरंकुशता की सम्भावना |
|--|---|

भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाये जाने के कारण :- भारतीयों को किसी प्रणाली में शरकार चलाने का अनुभव नहीं था किन्तु ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित की गयी संसदीय व कार्यप्रणाली संसदीय प्रणाली पर आधारित थी जिसे अवधारणा के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया वर्तुतः व्यवहारिक नज़रिये से यही उचित था।

संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है।

संसदीय व्यवस्था में शता के शीर्ष पर अनेक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भाँति शक्तियों के टकराव की सम्भावना नहीं होती।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाना श्रेष्ठ समझा।

भारत में संसदीय प्रणाली :- भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अपनायी गयी है हालांकि संविधान में इस शब्द का कही प्रयोग नहीं किया गया हैं संविधान के अनुच्छेद 52,53(1),74(1), 75(2), 75(3) के संयुक्त निष्कर्ष के आधार पर यह अपष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनायी गई है उच्चतम न्यायालय से संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है।

भारत में संसदीय प्रणाली के क्रियावयन की समीक्षा :- संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, कनाडा, और अंतर्राष्ट्रीय दैरें देशों में शफल रही है जबकि भारत में यह अधिक शफल नहीं रही है D.D. बसु, B.N. Shukla दैरें राजनीतिज्ञों का मानना है कि भारत में संसदीय प्रणाली असफल रही है संसदीय प्रणाली के असफलता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं-

1. भारत में राजनीति के गैरिकता में गिरावट।
2. राजनीतिक दलों में अनुशासनहीनता में वृद्धि।
3. राजनीति में तेजी से बढ़ता हुआ अष्टाचार जैसा कि आपरेशन दुर्योगों के माध्यम से यह अपष्ट हुआ कि संसद कदम, सदन में प्रश्न पूछने के लिये भी लोगों से रिश्वत लेने लगे हैं।
4. राजनीति में अपराधिकरण का प्रवेश जिसने अपराधिकरण की राजनीति का रूप धारण कर लिया है भारत शरकार के पूर्व गृह सचिव N. बोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के मध्य गठजोड़ का उल्लेख किया है।
5. राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव।
6. राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं में अनुत्तरदायित्व एवं अतिवेदनशीलता में वृद्धि।
7. दलबदल सम्बंधी दोष जिसने राजनीति में अपने दोषों को डरम दिया है।
8. जनता के मध्य पर्याप्त जागरूकता का अभाव।
9. जनता की राजनीति एवं शरकार में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी का अभाव।

1960 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय शजनीति में उपयुक्त पतन के लक्षण दिखाई देने लगे जिनमें शंशदीय प्रणाली के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की। परिणाम इसके शजनीतीद्वारों के एक वर्ग के द्वारा यह मांग की जाने लगी, कि शंशदीय प्रणाली के असफल होने के बाद भारत में अब इसके इथान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये इस मुद्दे पर अनेक राष्ट्रीय बहस आयोजित किया गया यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि भारत में शंशदीय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं किन्तु अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसका विकल्प नहीं बन सकती है शाथ ही शंशदीय प्रणाली में उत्पन्न दोष ऐसी प्रकृति की नहीं हैं जिसका निराकरण न किया जा सके अगर इन दोषों को दूर कर शंशदीय प्रणाली के सफल बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

SC ने भी भारत में शंशदीय प्रणाली को शंविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है।

सुझाव/उपाय :-

- ❖ शजनीताओं के लिये कठोर आचार शंहिता (Code of Contract) एवं नैतिक शंहिता (Code of Ethics) विकासित किया जाना चाहिये।
इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिये और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन की दशा में दण्ड देने हेतु एक निष्पक्ष तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
- ❖ शजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाना चाहिये जिन दलों में इव्वं आन्तरिक लोकतंत्र न हो उन पर चुनाव लड़ने/निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
शजनीतिक दलों एवं शजनीताओं में जवाबदेही एवं शेवेन्जनशीलता का विकास किया जाना चाहिये।- शजनीतिक दलों के आय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियाँ की पारदर्शिता बनाया जाना चाहिये। शजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की अनेक घोषणायें इवतः शार्वजनिक की जानी चाहिये तथा शजनीतिक दलों को शूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।
- शजनीतिक अष्टाचार पर कठोरता के शाथ अंकुश लगाया जाना चाहिये।
- शजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोका जाना चाहिये इसके लिये कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिये।
- दल बदल शम्बन्धित प्रावदान दोषों को दूर किया जाना चाहिये जिनसे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। और - दलबदल के अंदर्भूत में अयोग्यता शम्बन्धित कोई निर्णय लेने का अधिकार शट्रूपति या शजनीति को दिया जाना चाहिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही रिपोर्ट की थी।
- जनता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिये। इसके लिये शिविल समाज के शंगठनों आदि की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिये।
- शजनीति एवं शरकार में लोगों की शक्तिय एवं शकारात्मक भागीदारी के लिये उन्हें शिक्षा, प्रेरणा आदि दी जानी चाहिये।

Q- भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियों का शामना करना पड़ा है वस्तुतः इन चुनौतियों ने इसी असफलता के द्वार पर ला खड़ा किया है इस वाक्य के आधार पर भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का परिक्षण करें।

Q-शंखदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुये वे क्या कारण थे जिसके आधार पर शंखिधान निर्माताओं ने शंखदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक प्रणाली को भारत में अपनाने के लिये श्रेष्ठ शमीक्षा उपष्ट करें।

Q-शंखदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विशेषणात्मक प्रस्तुत करें।


Q-भारत में शंखदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणों का उल्लेख करें।

Q-उन उपायों का शेड मैप तैयार करें जिसके आधार पर भारत के शंखदीय प्रणाली में विद्यमान दोषों का निराकरण किया जा सकता है।

Q- ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों कि तुलना के आधार पर भारत में शंखदीय प्रणाली असफल है तबकि उन देशों में अपेक्षाकृत सफल हैं टिप्पणी करें।



परिसंघीय/ शंघीय व्यवस्था Federal System




जब विभिन्न क्षेत्रीय और गोलिक इकाईयां अर्थात् प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रूचि करें तो उन्हें केन्द्र एवं राज्यों की स्वतंत्र राजकारे हो तो ऐसे राज्य को शंघीय राज्य कहते हैं और शंघीय राज्य के लिये बनाया गया शंविधान शंघीय शंविधान कहलाता है जैसे भारत, अमेरिका आदि।

जब प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रूचि करते हैं तो उन्हें समस्त राज्य/अधिकार केन्द्र में निहित होते हैं एवं प्रान्त की कोई स्वतंत्र राजकार नहीं होती बल्कि वे केन्द्र के प्रशासनिक एजेंट की भाँति कार्य करते हैं वो इसे एकात्मक राज्य कहते हैं और इस राज्य के लिये बनाया गया शंविधान एकात्मक शंविधान कहलाता है।

जैसे - ब्रिटेन, फ्रांस आदि।

-:शंघीय व्यवस्था के प्रकार :-



भारतीय राज्य या शंविधान के शंघीय स्वरूप का परिक्षण :- भारतीय शंविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का शंघ है (union of State) इस प्रकार अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत में शंघीय प्रणाली अपनायी गयी है और शंघीय प्रणाली का यूनियन प्रकार अपनाया गया है।

शंविधान शभा में भी डॉ. अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया है कि हमने जानबूझ कर यूनियन प्रकार की शंघीय व्यवस्था अपनायी है क्योंकि यह एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करता है भारत विविधताओं से युक्त देश है जिससे भविष्य में एकता और अखण्डता के लिये चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं अतः ऐसी चुनौतियों का कठोरता पूर्वक ध्वनि करने के लिये एवं राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाये रखने के लिये एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है।


शंविधान शभा के कुछ शद्दयों ने फेडरेशन के पक्ष में जब विचार दिये तब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि तुलनात्मक रूप में यूनियन फेडरेशन से श्रेष्ठ यूनियन केन्द्र में राज्यों की निष्ठा का परिणाम है जबकि फेडरेशन केन्द्र एवं राज्यों के मध्य (अमेरिकी) राज्य का समझौता का परिणाम है निष्ठा का तत्व समझौते से अधिक प्रबल है दोनों व्यवस्थाओं ने राज्य केन्द्र से अलग नहीं हो सकते किन्तु निष्ठा इसका प्रबल परियायक है डॉ. अम्बेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि फेडरेशन ही एक प्रकार का यूनियन है।

उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती ν/s केरल राज्य एवं एस.आर. बोम्बई ν/s भारत शंघ के मामले में भी यह स्पष्ट किया है कि भारतीय शंविधान शंघीय है और शंघीय शंविधान, शंविधान का आधारभूत

ढॉया है (Basic Structure)इस प्रकार भारतीय शंघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित होने के बजाय कनाडाई मॉडल पर आधारित है।

शंघीय शंविद्यान के लक्षण

1. शंविद्यान की शर्वोच्चता
 2. लिखित शंविद्यान
 3. दोहरा शंविद्यान
 - शंघ
 - शड्य
 4. दोहरी नागरिकता
 - शंघ
 - शड्य
 5. शंघ व शड्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा
 6. द्विसदनीय विद्यायिका
 7. कठोर शंविद्यान
 8. इवतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
- भारत में शंघीय शंविद्यान के लक्षण
1. शंविद्यान की शर्वोच्चता
 2. लिखित शंविद्यान
 3. शंघ व शड्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा
 4. द्विसदनीय विद्यायिका
 5. कठोर शंविद्यान
 6. इवतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका



भारत में शंघीय शंविद्यान पर चिंतकों के विचार :-

के.डी. क्हीयर ने भारतीय शंविद्यान को झर्छ शंघ कहा है।

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| - ग्रेगविल आर्टिन | शहकारी शंघवाद (Factorialism) |
| - आहवर डैनिमंस | शशवत केन्द्रीकृत प्रवृत्ति वाला शंघ |
| - मॉरिस जोनस | शमझीतावादी शंघवाद |

प्रतिश्पर्द्धी शंघवाद :- शहकारी शंघवाद - मिलजुल कर कार्य करना

केन्द्र एवं शड्य दोनों हर शड्य को पैशा देता है लेकिन व्यवहार में हम आर्थिक रूप से कमज़ोर को पैशा देते हैं लेकिन अब नहीं क्योंकि हम उस शड्य को पैशा दिया जाता है जो तथक्की करना चाह रहा है या कर रहा है जिससे एक दूसरे शड्य में प्रतिश्पर्द्धा होगा और विकास करना शुरू करेंगे ये अभी शेष्वा अवस्था में हैं।

भारतीय शंविदान अर्द्धशंघा नहीं है।

ब्रिटिश विद्यशास्त्री R.C क्लीयर ने भारतीय शंविदान को अर्द्धशंघा कहा है उन्होंने शम्भवतः यह शंझा इसलिये दी क्योंकि भारतीय शंविदान में शंघीय एवं एकात्मक शंविदान में दोनों के लक्षण पाये जाने हैं। भारतीय शंविदान में पाये जाने वाले शंघीय लक्षण निम्नलिखित हैं -

- 1 शंविदान की शर्वोच्चता
- 2 लिखित शंविदान
- 3 शंघा व शज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा
- 4 द्विशक्तीय विद्यायिका
- 5 कठोर शंविदान
- 6 श्वत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

भारतीय शंविदान में एकात्मक शंविदान के शी लक्षण विद्यमान हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. एकल शंविदान (शंघा व शज्य हेतु)
2. एकल नागरिकता (भारतीय शंविदान)
3. शंशद द्वारा शज्यों का निर्माण, नाम, शीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन
4. शज्यपाल की नियुक्ति
5. आपातकालीन प्रावद्धान
6. शंशद द्वारा शज्य शूदी के विषय पर विधि बनाने की शक्ति
 - (a.) राष्ट्रीय हित में Art - 249
 - (b.) आपातकाल के दौशन Art - 250
7. एकीकृत न्यायपालिका - { शंघा की न्यायपालिका - SC औपील
शज्य की न्यायपालिका - HC }

अधीनस्थ न्यायालय औपील

8. औपील भारतीय शेवा - Only suspend → 2 Month
9. शंघा व शज्य शम्बन्धों का शंघा के पक्ष में वितरण
10. एकल लेखा परिक्षण

लेखा = आय-व्यय का विवरण

शंघा व शज्य के आय व्यय का परीक्षण


CAG

शंशद का अधिकारी

शंघीय एवं एकात्मक लक्षणों के उपयुक्त विवेचन से यह उपष्ट होता है कि शंघीय प्रकृति के लक्षणों का महत्व एकात्मक प्रवृत्ति के लक्षणों में अधिक है शामान्यतः एकात्मक व्यवस्था के लक्षण देश में एकता एवं अखण्डता के बनाये रखने तथा देश की विविधता से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये बनाये गये हैं अन्यथा शंविदान में मूलभूत रूप से शंघीय लक्षणों का शमावेश किया गया है यही दृष्टिकोण SC ने केशवानन्द भारती Vs केरल शज्य तथा S.R बोम्बई Vs भारत शंघा के मामले में भारत की शंघीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुये अपनाया है न्यायालय ने भारतीय शंविदान की मानव शरीर से तुलना करते हुये कहा कि शंविदान के शंघीय लक्षण आत्मा की भाँति महत्व के हैं जबकि एकात्मक लक्षणों का महत्व

शरीर के अंगों की भाँति है। अतः भारतीय संविधान शंघीय है। संविधान की शंघीय प्रकृति संविधान का आधारभूत ढंगा है।
इस प्रकार संविधान को अर्द्धशंघ की शंडा उपयुक्त नहीं है।

भारतीय शज्य : सहकारी शंघ सहकारी शंघ



सहकारी शंघवाद :-

सहकारी शंघवाद का अर्थ है शंघ एवं शज्यों का सहकारीता के आधार पर कार्य करना अर्थात् परस्पर मिल जुल कर भूमिका का निर्वाह करना।

सहकारी शंघवाद भारतीय शंघीय व्यवस्था को मजबूती व गतिशीलता प्रदान करता है। इसने भारत की शंघीय व्यवस्था को जीवंत बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। संविधान में वर्णित प्रावधानों एवं अनेक गैर संवैदानिक प्रावधानों ने वह धरातल निर्मित किया है। जिसके आधार पर भारत में सहकारी शंघवाद की स्थापना हो सकी है। ये कारक निम्नलिखित हैं -

संवैदानिक कारक :-

निम्नलिखित अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान वर्णित किये गये हैं जो भारतीय शंघीय व्यवस्था में सहकारीता की स्थापना करते हैं -